न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्याः–41/2018
टी.सी.एम.एस. संख्याः– 2018/00044

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. प्रकाश पुत्र स्व0 महेश
2. सन्तोष पुत्र स्व0 महेश
3. प्रमाम देवी बेवा स्व0 महेश

समस्त जातिवान ब्राह्मण निवासी गुरसंगपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली।

....अपीलांटस्।

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी गुरसंगपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली।
2. स्टेट होल्डर जरिये तहसीलदार सपोटरा जिला करौली।

...रेस्पोंडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री धीरेन्द्र पाल अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री तौफीक मोहम्मद अधिवक्ता अपीलांट सं0 02।
3. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 01।

–ः निर्णय ः–

दिनांक 02.02.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सपोटरा जिला करौली में दायर राजस्व वाद संख्या 27/2012 बउनवान बृजमोहन बनाम प्रकाश वगैरह में पारित निर्णय व प्रा0 डिक्री दिनांक 15.10.2014 व फाइनल डिक्री दिनांक [illegible] के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक [illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 53, [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] उपखण्ड [illegible] सपोटरा के समक्ष इस आशय का पेश किया [illegible] कि [illegible] बीघा 16 बिस्वा खसरा नंबर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

13 बिस्वा, खसरा नंबर 543 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 543/589 रकबा 11 बिस्वा वाके ग्राम तुरसंगपुरा तहसील सपोटरा तथा ग्राम सपोटरा तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नंबर 304 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा पर वादी एवं प्रतिवादी की उक्त पुश्तैनी आराजीयात पर बाहमी बंटवारे से अपने अपने हिस्सानुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादीगण, वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे है। इसलिए वादी विवादित आराजीयात का बाहमी बंटवारा के अनुसार बंटवारा कराये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष चाहा गया। मातहत अदालत ने दिनांक 15.10.2014 को निर्णय पारित करते हुए "प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम तुरसंगपुरा तहसील सपोटरा के खसरा नंबर 520 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 522 रकबा 07 बिस्वा, खसरा 541 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 543 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 543/589 रकबा 11 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 लगा 03 को हिस्सा 1/2-1/2 का पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया। तहसीलदार सपोटरा को 300/- फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया।" उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत ने जेर अपील आदेश दिनांक 15.10.2014 के अनुसरण में प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में बंटवारा स्कीम को मनमाने तरीके से लोक अदालत केम्प 2016 सपोटरा में दिनांक 09.05.2016 को बंटवारा स्कीम तलब होने के आधार पर पारित किया जाकर जेर अपील आदेश व डिक्री लोक अदालत कैम्प में बंटवारा स्कीम के आधार पर पारित कर डिक्री बनाये जाने के आदेश पारित किया गया। लोक अदालत सपोटरा में समस्त पक्षकारों की आपसी सहमति से एवं लिखित रजामंदी पत्र पर हस्ताक्षर होने के पश्चात एवं दो पक्षों की सही शनाख्तगी के पश्चात् ही कोई आदेश व डिक्री पारित किया जाना अपेक्षित था। लोक अदालत कैम्प सपोटरा दिनांक 09.05.2016 को अपनी आदेशिका में बंटवारा स्कीम तलब होने के आधार पर दावा वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 का डिक्री किया गया जबकि बंटवारा स्कीम पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर नही है लेकिन मातहत अदालत ने एक पक्षीय कार्यवाही करके न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों का हनन किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सपोटरा का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2014 व 09.05.2016 को अपास्त फरमाया जावें। अपील मेमो के साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया।

धारा 5 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त [illegible] दिनांक 06.04.11 व दिनांक 28.09.15 की जानकारी अपीलांट को दिनांक [illegible] को रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 द्वारा ग्राम जहांगीरपुर जाकर आराजीयात [illegible] बातचीत करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:23 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी
[illegible] माधोपुर

Scanned with CamScanner

व मुकदमा अपने पक्ष में फैसला करा लेने की अपीलांट से कहने पर हुयी। अपीलान्ट गरीब अनपढ़ कृषक है इसलिए दिनांक 06.04.11 व 28.09.15 से दिनांक 05.10.15 तक अपील निर्णय व डिक्री एवं एकपक्षीय कार्यवाही की जानकारी के अभाव में कन्डोन कर माफ किये जाने योग्य है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मातहत अदालत ने रेस्पोडेन्ट नंबर 01 ने जैर आराजीयात को पुश्तैनी होने का अभिकथन किया लेकिन पुश्तैनी होने बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। तनकी नं0 01 व 02 रेस्पोडेन्ट नंबर 01 के पक्ष में एवं तनकी नं0 03 अपीलार्थीगण के विरूद्ध मनमाने तरीके से साक्ष्य का बिना विवेचन पारित कर अहम् भूल की है। जैर अपील निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध रूप से पारित किये है कमिश्नर तहसीलदार द्वारा बंटवारा स्कीम मौंके पर गए बिना , बिना अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर कराये ही, लोक अदालत के नोटिस की विधिवत तामील अपीलार्थीगण पर कराये बिना एवं लोक अदालत के भावना के विपरीत लोक अदालत में जैर डिक्री पारित की गई। इसलिए जैर आदेश व डिक्री काबिले निरस्त... योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के ... दृष्टांत 2021(?) आर.आर.

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

टी 1318 , आर.आर.टी. 2009–10(सप्त) पेज 309, 2021(1) आर.आर.टी. 61, 2022(1) आर.आर.टी. 610 पेश किए।

9. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि यह अपील रेस्पोडेन्ट [illegible] को नाजायज परेशान करने मात्र के उद्देश्य से पेश की गई है। मातहत अदालत [illegible] अधिकारी सपोटरा द्वारा विवादित आराजीयात का [illegible] द्वारा [illegible] कर विधि अनुसार सहमति से ही निर्णय पारित किया गया है। मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि अनुसार की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावें।

10. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

11. रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2062–2065 [illegible] ग्राम [illegible]पुरा पटवारी हल्का बापोती तहसील सपोटरा खसरा नंबर 520, [illegible], 541, 542, 543/589 कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा [illegible] राधेश्याम कौम ब्राहम्ण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है; इसी प्रकार ग्राम सपोटरा के [illegible] खसरा नम्बर 304 में ब्रजमोहन, रमेश पिता राधेश्याम हि. 67/69 दर्ज रिकॉर्ड है।

12. रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन में ख.नं. 304 वाके ग्राम सपोटरा का विभाजन नहीं कर विधिक त्रुटि कारित की है। द्वितीयः लोक अदालत कैम्प कोर्ट सपोटरा दिनांक 09.05.2016 में पत्रावली नियत की गई कर दी गई जबकि अदालत मातहत की आदेशिका में आगामी तारीख पेशी 12.05.2016 [illegible] है। इस प्रकार अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिए बगैर ही बिना [illegible] लोक अदालत की भावना के विपरित जाकर निर्णय पारित किया है, [illegible] है। तृतीयः कुर्रे रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व तहसीलदार सपोटरा द्वारा [illegible] को मौके पर उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी किए गए न ही [illegible] जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए वरन पटवारी व भू अभिलेख द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर प्रति हस्ताक्षर कर दिए गए जो कि रा. का. अ. नियम (राजस्व मण्डल) 18–21 की पालना किए बगैर ही अदालत मातहत द्वारा जो [illegible] डिक्री दिनांक 09.05.2016 पारित की है वह विधिक रूप से शून्य होने के [illegible] योग्य है। यहाँ अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त RRT 2021 [illegible] से चस्पा होते है।

13. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अदालत मातहत [illegible] पारित निर्णय व डिक्री 15.10.20[illegible] खारिज किया जाकर पत्रावली अदालत मातहत [illegible] निर्देशों के [illegible] किया जाता है कि उभयपक्षकारन [illegible] हुए, रा. का. अ

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नियम (राजस्व मण्डल) 18—21 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकासान को निर्देशित किया जाता है कि अदालत मातहत में दिनांक 23.02.2023 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें।

14. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुले इजलास आज दिनांक 02.02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील अधिकारी,
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner